प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 29.07.2026

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा समस्त थानों पर 'वादी संवाद दिवस' आयोजित किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में जनता को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद में **वादी संवाद नीति** लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बुधवार को सभी थानों पर **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया जाता है। जिसके क्रम में आज दिनांक **29.07.2026** दिन **बुधवार** को कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थानों पर पूर्व की तरह **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया गया।

वादी संवाद दिवस का उद्देश्य वादियों और पुलिस के बीच सार्थक संवाद स्थापित कर पारदर्शिता, विश्वास एवं शीघ्र न्याय की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करना है। जिसके क्रम में विवेचनाधीन अभियोगों (एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0) तथा गुमशुदगी से सम्बन्धित वादी को थाने पर आमंत्रित कर सम्बन्धित विवेचकों के साथ संवाद स्थापित करते हुए विवेचना की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति से अवगत कराते हुए वादियों के सभी प्रश्नों का उचित, तथ्यात्मक एवं संतोषजनक उत्तर देते हुए संतुष्ट किया गया।

आज दिनांक 29.07.2026 को आयोजित किये गए वादी संवाद दिवस का जोन वार विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	जोन	संवाद हेतु थानों पर उपस्थित आये वादियों की संख्या
1.	नगर	110
2.	ट्रांस हिण्डन	91
3.	ग्रामीण	108
कुल कमिश्नरेट गाजियाबाद		**309**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में **वादी संवाद दिवस** गाजियाबाद पुलिस की एक जन सरोकार आधारित पहल है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वादी को अपने प्रकरण की सही जानकारी समय पर मिले एवं उन्हें न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास और संतोष प्राप्त हो। यह नई पहल पुलिस व जनता के बीच आपसी सहयोग एवं विश्वास को और अधिक मजबूत करेगी। कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा जनकेन्द्रित पुलिसिंग के दृष्टिगत भविष्य में भी इसी प्रकार के नवाचार जारी रहेंगे।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का ऑटो बरामद।

आज दिनांक 29.07.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी के ऑटो के साथ अभियुक्त अभिषेक पुत्र जीवन सिंह निवासी ग्राम जलालपुर थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी किया गया 01 ऑटो बरामद किया गया। उक्त बरामद ऑटो के सम्बन्ध में थाना जैतपुर जनपद साउथ ईस्ट दिल्ली पर चोरी का अभियोग पंजीकृत है। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मसूरी पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैंने यह ऑटो दिल्ली से चोरी किया था और इसे अभी तक छिपा कर रखा था। आज मैं इसे बेचने के फिराक में निकला था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभिषेक पुत्र जीवन सिंह निवासी ग्राम जलालपुर थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी का 01 ऑटो बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त चोरी के ऑटो की बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा थाना जैतपुर जनपद साउथ ईस्ट दिल्ली पर उपरोक्त ऑटो चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

दिनांक 28/07/2026 को वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि वादिया के नाबालिग पुत्र द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष के साथ गलत काम करना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा-64(1)बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेने हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित बाल अपचारी उम्र करीब 15 वर्ष को अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में बाल अपचारी ने बताया कि मेरे परिजन किसी काम से बाहर गये थे तभी मैंने मौका पाकर अपनी बहन के साथ गलत काम कर दिया था।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

बाल अपचारी के विरूद्ध उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीमः-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 25.07.2026 को थाना मसूरी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभि0 शहजाद सैफी पुत्र यूनुस निवासी आकाशनगर थाना मसूरी गाजियाबाद द्वारा वादिया को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना, गर्भपात कराना तथा मारपीट करना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर तत्काल धारा- 69/74/89/115(2)/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 29.07.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शहजाद सैफी को चौकी क्षेत्र जेल कल्लूगढी कट से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं पहले मेडीकल स्टोर पर हेल्परी का कार्य करता था। पीड़िता पार्लर का काम करती थी इसी दौरान हम दोनों की आपस में जान पहचान हो गयी थी, मैं पिछले 01 वर्ष से पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा था। कुछ दिन पहले मैंने उससे शादी के लिए मना कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

शहजाद सैफी पुत्र यूनुस निवासी आकाशनगर थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।